न्यायालय सत्र न्यायाधीश**,** मीरजापुर
उपस्थित: अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय, एच०जे०एस०

सत्र परीक्षण संख्या-1164 सन् 2025

उ०प्र० राज्य **बनाम** अशोक कुमार

मु०अ०संख्या-**184** सन् **2024**
अन्तर्गत धारा-137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता,
थाना-लालगंज,जिला-मीरजापुर।

आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा-II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्त अशोक कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 21.08.2024 को किसी समय बहदस्थान वादी के घर व प्राथमिक विद्यालय स्थित सेमरी मगरदा के मध्य रास्ते में, क्षेत्रान्तर्गत थाना-लालगंज, जिला-मीरजापुर से आपने वादी मुकदमा छोटेलाल की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसे विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-137(2) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आपने वादी मुकदमा छोटेलाल की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को विवाह आदि करने को विवश करने के लिए व्यपहरण किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-87 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-06.01.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No. UP6030

उक्त आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक-06.01.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No. UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश**,** मीरजापुर

सत्र परीक्षण संख्या-1164 सन् 2025

उ०प्र० राज्य **बनाम** अशोक कुमार

मु०अ०संख्या-**184** सन् **2024**
अन्तर्गत धारा-137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता,
थाना-लालगंज,जिला-मीरजापुर।

दिनांक **06.01.2026**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त अशोक कुमार व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध धारा-137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध धारा-137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.02.2026 को पेश हो। नियत तिथि के लिये साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हो।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।